कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809048

सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-वि()व()-संग्रह-ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना /2008-09/ 569 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक 01 अगस्त, 2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषय:: दिनांक 31-03-2004 तक उ0प्र0 व्यापार कर एक्ट, केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मूल बकाया धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने पर देय ब्याज / अर्थदंड माफी योजना लागू किया जाना।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या - 2282 /ग्यारह-9(21)/2003-2008 दिनांक 29-07-2008 एवं उसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रस्तावित विज्ञापन की एक-एक छाया प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आप उक्त शासनादेश के सफल क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए निर्देशित करने के साथ ही अपने स्तर से जन समान्य एवं व्यापारी वर्ग को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निमित्त उसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

योजना के अनुरुप करदाताओं को लाभ यथा समय मिल सके, उसके लिए आवश्यक है कि अभिलेखों का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जायें। प्रत्येक मामलें में इस शासनादेश के अनुसार ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाना है। अत: ब्याज / अर्थदण्ड माफी के मामलों का निस्तारण यथा समय किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे यह भी अपेक्षित है कि इन योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण अपने स्तर से करें व योजना में प्राप्त ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि का मासिक विवरण अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक मुख्यालय को संलग्न प्रारुप में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि संकलित विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जा सकें।

कृपया उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति कराकर अपने जोन के जिलाधिकारियों, अधिवक्ता संघो एवं व्यापार मण्डल / सलाहकार समिति के सदस्यों को तत्काल उपलब्ध कराते हुए मुख्य स्थानों जैसे आयकर, मण्डी परिषद, रेलवे, कलेक्ट्रेट कार्यालयों के सामने योजना के प्रसार-प्रचार हेतु सूचना बोर्डो, सूचना पत्रों के माध्यम से जनसामान्य को अवगत करने की कार्यवाही भी करें जिससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति सम्भव हो सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(रमेश मिश्र)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(2)

संख्या - 2282 / ग्यारह-9(21) / 2003-2008

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक::29 जुलाई, 2008

विषय:: दिनांक 31-03-2004 तक उ0प्र0 व्यापार कर एक्ट, केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मूल बकाया धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा करने पर देय ब्याज / अर्थदंड माफी योजना लागू किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह-अर्थदण्ड-ब्याज माफी-08-09/318/वाणिज्य कर दिनांक 02-06-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विचारोपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्न शर्तो के अधीन ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना, 2008 लागू कर दी जाए :-

1- योजना दिनांक 31-12-2008 तक लागू रहेगी।

2- दिनांक 31-03-2004 तक सृजित मूल बकाया राशि को दिनांक 31-12-2008 तक की अवधि में अथवा योजना की अवधि के पूर्व जमा होने की स्थिति में देय ब्याज की शेष धनराशि तथा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड की राशि निम्न प्रकार माफ कर दी जाय :

प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण आदेश से सृजित मांग की अवशेष बकाया धनराशि	योजना की अवधि में अथवा उसके पूर्व जमा मूल बकाया की धनराशि	ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि	ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि	अर्थदण्ड की माफ की जाने वाली धनराशि
धनराशि (सीमा नहीं)	(सम्पूर्ण)	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	100 प्रतिशत

3- दिनांक 31-03-2004 तक सृजित मूल बकाया के अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि में उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948, केन्द्रीय बिक्रयकर अधिनियम, 1956 तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया सम्मिलित मानी जायेगी।

4- प्रत्येक मामलें में योजना के अन्तर्गत ब्याज तथा अर्थदण्ड की धनराशि की माफी का आदेश कर निर्धारक अधिकारी द्वारा योजना के अनुसार कर एवं ब्याज की धनराशि जमा करने पर पारित किया जायेगा।

5- योजना में केवल अर्थदण्ड की वही धनराशि माफ की जायेगी जो मूल कर बकाया जमा न करने या समय से न जमा करने के कारण आरोपित किया गया हो। अन्य कारणों से आरोपित अर्थदण्ड इस योजना के अन्तर्गत माफी योग्य नही होगा।

6- प्रत्येक वर्ष कर निर्धारण आदेश से सृजित मांग की बकाया धनराशि में अपील / द्वितीय अपील से निश्चित की गयी मांग भी सम्मिलित होगी।

7- दिनांक 31-03-2004 तक सृजित मूल बकाया जमा करने में यदि उसमें स्वीकृत कर सम्मिलित है तो उस पर देय ब्याज भी योजना की शर्त के अनुसार माफी योग्य होगा।

8- अस्थायी कर निर्धारण आदेश द्वारा सृजित मॉग अथवा नक्शे के साथ स्वीकृत कर जिसका अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 31-03-2004 तक नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में योजना का लाभ देय न होगा।

9- बकाया जमा करने पर व्यापारी को जमा का प्रमाण-पत्र और समाधान लाभ के अतिरिक्त समस्त बकाया जमा करने पर व्यापारी को नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र भी जारी किया जायेगा।

10- पूर्व में जमा ब्याज / अर्थदण्ड इस योजना के अन्तर्गत वापसी योग्य नहीं होगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करे तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा योजना में प्राप्त धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरान्त अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

ह0)

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. श्री एस0सी0द्विवेदी / श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (अपील) / कॉरपोरेट सर्किल / ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. महालेखाकार, 171–ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
9. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
10. प्रबन्धक, इंरोटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
12. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट ऑफिस ऑफ द ए0जी0ऑडिट, 11–सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
13. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर–10, नोएडा।
14. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
15. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
16. मैनुअल अनुभाग / सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
17. संग्रह अनुभाग को 25 प्रतियां / वैट अनुभाग को 05 प्रतियाँ तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 05 प्रतियां।
18. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
20. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, लखनऊ।
21. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी–15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
22. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 87 / 349, आर्यनगर, संगीत टाकीज के पीछे, कानपुर।
23. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
24. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29–बी, विधायक निवास, दारूलसफा, लखनऊ।
25. मर्चेन्ट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, 14 / 26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
26. एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 2 / 210, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
27. पी0एच0डी0चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1–ए, ला–प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
28. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राईट बेबी साईकिल इण्ड, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
29. आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स ऑर्गेनाईजेशन, डी–4, साईट संख्या–3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
30. कनफेडरेशन ऑफ इण्डिन इण्ड0 एसो0, प्लाट–ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
31. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर के माध्यम से।
32. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय, 10 इन्जीनियर्स कॉम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
33. श्री शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसो0 जमुना विहार, एस0एस0कॉलेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
34. प्रो0डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

35. श्री मदन मोहन भारतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0शासन, 26/103 बिरहाना रोड, कानपुर।
36. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
37. डा0 छेदी लाल साथी, ए–5/1579, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
38. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0, 235, सीताराम, आजमगढ़।
39. श्री अशोक धवन, सी0के0–24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी।
40. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, 707, पंचशील कॉलोनी, महावीर चौक मुजफ्फरनगर।
41. श्री पी0एस0जैन, 138 ए, ब्लॉक–ए, सेक्टर–27, नोएडा।
42. श्री ब्रिज चावला, महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर।
43. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
44. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60–चाहचन्द, इलाहाबाद।
45. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मण्डल, उ0प्र0, 19–सुरेश बाग, कानपुर।
46. इण्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए–8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुजफ्फरनगर।
47. संयोजक, टैक्सेशन एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो0, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउण्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
48. टैक्सेशन बार एसोसिएशन, ट्रेड टैक्स बार रूम, जयपुर हाउस, आगरा।
49. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0स्टेट लि0, 51 बी, उद्योग नगर कानपुर।
50. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0, 3–एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
51. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडयूसर्स एसो0, 51/58–ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
52. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0, 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
53. श्री दुलारा राम सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ–3, पार्क रोड, लखनऊ।
54. श्री अरूण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0) बी 20 विधायक निवास, दारूलशफा, लखनऊ।
55. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27–ए, मिशन कम्पाउण्ड मेरठ।
57. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कॉपी व्यवसायी संघ, 6/6–ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
58. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेज–2, गोमतीनगर, लखनऊ।
59. वैट लॉ जरनल, 10, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरगंज रोड, मेरठ।
60. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय, इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
61. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर–15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
62. श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, आर0डी0सी0–51, राजनगर, गाजियाबाद।

(रमेश मिश्र)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रारुप

(आँकड़े लाख रुपये में)

वसूली / जमा की धनराधि					
प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण आदेश से सृजित माग की अवशेष बकाया धनराशि	योजना की अवधि में अथवा उसके पूर्व जमा मूल बकाया की धनराशि	ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि	ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि	अर्थदण्ड की माफ की जाने वाली धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6